तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6683/2008/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम बाबू(फौत) जरिए वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री अशोक मेघवंशी, उप राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी।

विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

--

आदेश

दिनांकः- 19.07.2023

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर ने रेफरेन्स प्रकरण संख्या 316/2007 में अपने आदेश दिनांक 26-02-2008 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार मसूदा ने जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उत्तमी तहसील मसूदा में स्थित साबिक खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म नाला मिसल बंदोबस्त सन् 1951-52 में सिवायचक दर्ज थी। सेटलमेण्ट के पश्चात् उक्त आराजी साबिक खसरा नं0 734 के नऐ खसरा नं0 1196 दर्ज किए गए। उक्त भूमि खसरा नं0 1196 रकबा 15 बिस्वा में से 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि कि किस्म आ0 2 वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2059-62 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी है। उक्त भूमि गै0मु0 नाला की भूमि है जिसमें किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./6683/2008/अजमेर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बाबू(फौत) जरिए वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की धारा 16 के अन्तर्गत उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15-08-1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। 3. न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 26-02-2008 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अनुशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4. उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के अप्रार्थी उपस्थित नहीं आए । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 5. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षयी बहस सुनी। 6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते हैं इसलिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 लगायत 3 में अंकित हस्तान्तरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जन हित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./6683/2008/अजमेर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बाबू(फौत) जरिए वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15–08–1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 नाला दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। 7. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में नकल खतौनी जमाबंदी मौजा उत्तमी संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म नाली जैरआब दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी के हाल खसरा नं0 1196 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी कायम किए गए है। इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2059–62 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम उत्तमी में खाता संख्या नया 213 में खसरा नं0 1196 की रकबा 0.1214 किस्म आ0 2 बालू वल्द जग्गा व अन्य के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से साबित है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 नला दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर दी गई। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6683/2008/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम बाबू(फौत) जरिए वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 9. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 10. प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 नाली** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./6683/2008/अजमेर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बाबू(फौत) जरिए वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly. 11. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। 12– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा उक्त भूमि खसरा नं0 1196 रकबा 15 बिस्वा में से 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि कि किस्म आ0 2 वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2059–62 जो कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई थी को पुनः राजकीय गै0मु0 नला/नाली दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। 13– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	